



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004

HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 31/7496

दिनांक:-16.10.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-292/2018

विषय:-Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.07.2018 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay as per 6th Central Pay Commission.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं..PC-VI/2008/1/7/2/1 दिनांक 08.10.2018, RBE No.152/2018, S. No.PC-VI/390 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	S.No.PC-VI/385, RBE No.58/2018 dated 12.04.2018	116/2018
2.	S.No.PC-VI/3, RBE No.106/2008 dated 09.09.2008	157/2008

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)


16-10-18

(हफिज मोहम्मद)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

E/R No- 292/2018
P/1

S.No. PC-VI/390

RBE No.152/2018

No. PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 8.10.2018

The GMs/CAO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

Sub: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.07.2018 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 12.4.2018 (S.No. PC-VI/385, RBE No.58/2018) revising the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2018 in respect of railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission. 116/18

2. The rate of DA admissible to railway employees of above category shall be enhanced from the existing rate of 142% to 148% w.e.f. 01.07.2018.

3. The provisions contained in Paras 3,4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders. 157/08

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Authority- MoF's OM No.1/3/2008-E.II(B)dated 11.9.2018).



(U.K.Tiwari)

Dy. Director, Pay Commission-VI
Railway Board

No.PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 8.10.2018

Copy to the Deputy Controller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi(with 40 spares).



For Financial Commissioner/Railways.

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड-पे में अपने वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को 01.07.2018 से लागू महंगाई भत्ते की दर।

रेल मंत्रालय के दिनांक 12.04.2018 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/385 आरबीई सं. 58/2018) जिसमें उन रेल कर्मचारियों, जो छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधनपूर्व वेतनमान/ग्रेड-पे में अपना वेतन आहरण कर रहे हैं, के संबंध में दिनांक 01.01.2018 से महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करने के संबंध में है, का अवलोकन करें।

2. उपरोक्त कोटि के रेल कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.07.2018 से मौजूदा 142% से 148% तक बढ़ा दिया जाएगा।

3. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

[प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 11.09.2018 का का.जा. सं. 1/3/2008-ई.11(बी)]



(यू.के. तिवारी)

उप निदेशक/वेतन आयोग-VI
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 8.10.2018

सं. पी सी-VII/2008/1/7/2/1

प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)



कृते वित्त आयुक्त, रेलें.